Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 27-2017/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 13 फरवरी, 2017
(24 माघ, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24).	7–14
	2. हरियाणा सुख–साधन कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 28)	15–17
	3. न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29). (केवल हिन्दी में)	18
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 फरवरी, 2017

संख्या लैज.28/2016.– दि हरियाणा मोटर व्ही–इ–कॅल टैक्सेशॅन ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 2 फरवरी, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24

हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016
हरियाणा राज्य में मोटर यानों पर कर के उद्ग्रहण से सम्बन्धित तथा उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए विधि को समेकित तथा विनियमित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''अपील प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कोई प्राधिकरण;

(ख) ''अनुज्ञप्ति'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति;

(ग) ''अनुज्ञापन अधिकारी'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी;

(घ) ''स्वामी'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जिसके नाम मोटर यान पंजीकृत है, तथा जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, तो ऐसे नाबालिग का अभिभावक तथा मोटर यान, जो भाड़ाक्रय, करार या पट्टे का करार या आडमान करार के अध्यधीन है, के संबंध में उस करार के अधीन यान का कब्जा रखने वाला व्यक्ति;

(ङ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(च) ''विहित प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कोई प्राधिकरण;

(छ) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ज) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;

(झ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ञ) ''कर'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर;

(ट) ''कर संग्रहण केन्द्र'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन किए गये किसी कर के भुगतान को प्राप्त करने के लिए राज्य सीमा पर या राज्य में किसी अन्य स्थान पर स्थापित कोई सुविधा।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) में परिभाषित सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में दिए गए हैं।

मोटर यानों पर कर का उद्ग्रहण।

3. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए सभी मोटर यानों पर कर ऐसी दरों तथा शास्तियों पर, जो राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा :

परन्तु कर की दरें, अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होंगी जो अनुसूची के खाना 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

(2) उप–धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना मोटर यानों की किस्म, अवधि तथा रीति, जिसमें कर उद्गृहीत किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भुगतानयोग्य शास्ति तथा कोई अन्य धन राशि, यदि कोई हो, को जोड़ने के बाद कर की कुल राशि अगले दसवें तक पूर्णांकित की जाएगी।

घोषणा, कर का भुगतान तथा अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

4. (1) प्रत्येक स्वामी विहित प्ररूप में घोषणा भरेगा तथा हस्ताक्षर करेगा तथा राज्य में मोटर यान रखने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर उसे अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा यथा लागू कर की राशि जमा करवायेगा।

(2) जहां किसी स्वामी द्वारा किसी मोटर यान के सम्बन्ध में किसी विशेष अवधि के लिए कर भुगतान किया गया है, तो अनुज्ञापन अधिकारी ऐसे स्वामी को, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, सम्पूर्ण राज्य के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा :

परन्तु जहां इस अधिनियम के अधीन एकमुश्त कर भुगतानयोग्य है, तो ऐसे कर का भुगतान पंजीकरण प्रमाण–पत्र में अभिलिखित किया जाएगा तथा ऐसे स्वामी को कोई भी अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

(3) राज्य में उपयोग के लिए कोई भी मोटर यान तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा या उपयोग के लिए रखा नहीं जाएगा जब तक ऐसे यान के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन उद्गृहीत कर का भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

कर की दर के पुनरीक्षण पर बाध्यता।

5. यदि इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर की दर के पुनरीक्षण के परिणाम–स्वरूप, कोई मोटर यान, जिसके सम्बन्ध में किसी विशेष अवधि के लिए कर का भुगतान किया गया है, ऐसी अवधि के दौरान किसी भी समय उच्चतर दर पर कर के लिए दायी हो जाता है, तो मोटर यान का स्वामी धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी शेष अवधि के लिए ऐसे पुनरीक्षण के कारण पहले से भुगतान किये गये कर तथा कर, जो उच्चतर दर पर भुगतानयोग्य हो गया है, के बीच के अन्तर के बराबर अतिरिक्त कर भुगतान करने के लिए दायी होगा।

मोटर यान के अन्तरण पर कर के भुगतान का दायित्व।

6. यदि किसी मोटर यान के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय कर उसके भुगतान के लिए दायी किसी स्वामी द्वारा असदंत रहता है, तथा ऐसे स्वामी ने कर भुगतान से पहले, ऐसे मोटर यान का स्वामित्व अन्तरित कर दिया है, तो व्यक्ति जिसको मोटर यान का स्वामित्व अन्तरित हो गया है, उक्त कर के भुगतान के लिए दायी होगा ।

अतिरिक्त कर तथा अतिरिक्त घोषणा के लिए दायित्व।

7. (1) जब किसी मोटर यान जिसके सम्बन्ध में किसी अवधि के लिए कर भुगतानयोग्य है या भुगतान कर दिया गया है, ऐसी अवधि के दौरान परिवर्तित किया गया है, या ऐसी अवधि के दौरान ऐसी रीति में उपयोग किये जाने के लिए प्रस्तावित है, तो स्वामी मोटर यान, जिसके सम्बन्ध में कर की उच्चतर दर भुगतानयोग्य है, के बारे में कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त उस अवधि के लिए उसकी तरफ देय ऐसी अवधि के असमाप्त भाग के लिए जब से मोटर यान परिवर्तित किया गया है या प्रयोग किए जाने के उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, उच्चतर दर पर ऐसी असमाप्त अवधि के लिए भुगतानयोग्य कर की राशि तथा उस अवधि के लिए यान के परिवर्तन या उपयोग से पूर्व भुगतानयोग्य था या भुगतान किए गए कर की राशि के बीच के अन्तर के बराबर अतिरिक्त कर के भुगतान का दायी होगा।

(2) जब स्वामी उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कर के भुगतान के लिए दायी हो जाता है, तो वह धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित प्ररूप में अतिरिक्त घोषणा को भरेगा, हस्ताक्षर करेगा तथा परिदत्त करेगा, तथा ऐसी अतिरिक्त घोषणा सहित अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा।

(3) अतिरिक्त कर की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन अधिकारी स्वामी को मूल अनुज्ञप्ति के स्थान पर एक नई अनुज्ञप्ति जारी करेगा या पंजीकरण प्रमाण–पत्र में किये गये ऐसे भुगतान, जैसी भी स्थिति हो, की प्रविष्टि करवायेगा।

कर का पुनः निर्धारण।

8. (1) यदि किसी सूचना की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन अधिकारी को पता चलता है कि मोटर यान के सम्बन्ध में कर का ठीक रूप से भुगतान नहीं किया है, या स्वामी ने धारा 4 की उप–धारा (1) में यथा उपबन्धित घोषणा या धारा 7 की उप–धारा (2) में यथा उपबन्धित अतिरिक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं की है, या घोषणा या अतिरिक्त घोषणा, जैसी भी स्थिति हो, में गलत विशिष्टियां दी हैं, तो अनुज्ञापन अधिकारी, किसी भी समय, स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, भुगतानयोग्य कर का निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाही कर सकता है।

(2) अनुज्ञापन अधिकारी, किसी भी समय, तथा ऐसी शर्तें, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए अभिलेख में प्रकट किन्हीं लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों को ठीक कर सकता है।

घोषणा तथा कर भुगतान करने के लिए नोटिस तामील करवाना।

9. अनुज्ञापन अधिकारी किसी स्वामी से ऐसे नोटिस की तामील की तिथि से चौदह दिन की समाप्ति से पूर्व उसमें नामित व्यक्ति को यह कथित करते हुए कि ऐसा स्वामी कर के भुगतान के लिए दायी है तथा ऐसी घोषणा के द्वारा दायी होने के रूप में उसे प्रतीत हो, कर का भुगतान करने के लिए ऐसे नोटिस सहित पृष्ठांकित की जाने वाली घोषणा को भरने तथा हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करते हुए उसे नोटिस तामील करने का निदेश दे सकता है

कर के भुगतान में देरी के लिए शास्ति तथा ब्याज।

10. (1) जहां किसी मोटर यान के सम्बन्ध में स्वामी द्वारा देय कर का भुगतान विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया गया है, तो वह देय कर के भुगतान के अतिरिक्त, धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर, शास्ति के भुगतान के लिए भी दायी होगाः

परन्तु शास्ति की कुल राशि जहां एकमुश्त कर भुगतानयोग्य है, देय कर राशि के दुगने तथा जहां किन्ही अन्य आधारों पर कर वर्ष के लिए भुगतानयोग्य है, तो देय कर की राशि के पांच गुणा से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां मोटर यान का स्वामी धारा 3 के अधीन देय कर या उप–धारा (1) के अधीन शास्ति का भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह कर तथा शास्ति की राशि के अतिरिक्त धारा 4 में यथा उपबन्धित घोषणा की प्रस्तुति की अन्तिम तिथि की तुरन्त आगामी तिथि से या अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने वाले पारित आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से, या, यदि आदेश में कोई अवधि विनिर्दिष्ट नहीं है, तो आदेश की तिथि के पन्द्रहवें दिन से, जैसी भी स्थिति हो, चूक के चालू रहने तक, प्रतिमास डेढ़ प्रतिशत की दर पर देय कर तथा शास्ति की राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(3) जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या इसके अधीन किए गए किसी आदेश या दिए गए निर्देश के उपबन्धों में से किसी का उल्लघंन करता है या पालन करने में असफल रहता है, यदि ऐसे उल्लघंन या असफलता के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं की गई है, तो पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति के अधिरोपन के लिए दायी होगा।

स्वामी का प्रतिभूति प्रस्तुत करना।

11. (1) जहां स्वामी इस अधिनियम के अधीन कर या शास्ति का भुगतान करने में लगातार दो मास या अधिक की अवधि के लिए चूक करता है, तो अनुज्ञापन अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर या शास्ति की उचित वसूली के लिए, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में उसकी तरफ देय कर तथा/या शास्ति तथा ब्याज की राशि के बराबर प्रतिभूति के रूप में जमा करवाने के लिए मोटर यान के स्वामी से अपेक्षा करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन मोटर यान के स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति, प्रतिभू बन्ध–पत्र के रूप में है तथा प्रतिभू दिवालिया हो गया है या अन्यथा असमर्थ हो गया है या की मृत्यु हो गई है या प्रतिभूति वापस ले लेता है, तो ऐसा स्वामी उपरोक्त किन्हीं भी घटनाओं के होने के पन्द्रह दिनों के भीतर अनुज्ञापन अधिकारी को सूचित करेगा तथा ऐसा होने के तीस दिन के भीतर नया प्रतिभू बन्ध–पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) अनुज्ञापन अधिकारी, सही तथा पर्याप्त कारण के लिए, लिखित में आदेश द्वारा, तथा स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, इस अधिनियम के अधीन ऐसे स्वामी द्वारा भुगतानयोग्य कर या शास्ति की राशि की वसूली के लिए उस द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति के सम्पूर्ण या किसी भाग को जब्त कर सकता है।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के कारण, ऐसे स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति अपर्याप्त हो गई है, तो वह ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, कमी को पूरा करेगा।

(5) अनुज्ञापन अधिकारी, ऐसे स्वामी के आवेदन पर, उस द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति या उसके किसी भाग को उन्मुक्त कर सकता है, यदि यह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिक समय तक रखे जाने के लिए अपेक्षित नहीं है।

समय सारणी, किराए/भाड़े की सारणी तथा लेखों का रखरखाव।

12. परिवहन यान के स्वामी से समय सारणी, किराए तथा भाड़े की सारणी तथा ऐसे लेखों, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षित करने की अपेक्षा की जाएगी तथा जब कभी अपेक्षा की जाए, अनुज्ञापन अधिकारी को उसे प्रस्तुत करेगा।

कतिपय अधिकारियों द्वारा मोटर यान को रोकने तथा तलाशी लेने की शक्ति।

13. (1) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के चालक से उस मोटर यान को रोकने की अपेक्षा कर सकता है तथा इसे ऐसी अवधि तक खड़ा रखवा सकता है जब तक युक्तियुक्त रूप में स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो कि ऐसे मोटर यान के संबंध में कर का सम्यक् रूप से भुगतान कर दिया गया है।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी मोटर यान को रोकने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या ऐसे बल का प्रयोग करवा सकता है तथा ऐसे कदम उठा सकता है या उठवा सकता है जो आवश्यक हों तथा स्वयं की संतुष्टि के लिए मोटर यान की तलाशी ले सकता है।

(3) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किन्हीं परिसरों में, जहां उसके पास विश्वास करने का कारण है कि मोटर यान इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में रखा गया है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।

भू–राजस्व के बकाया के रूप में कर, शास्ति ब्याज या जुर्माने की वसूली।

14. इस अधिनियम के अधीन देय कोई कर, शास्ति, ब्याज या जुर्माना भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किया जाएगा।

मोटर यान को जब्त तथा निरूद्ध रखने की शक्ति। ।

15. धारा 10 तथा 14 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी मोटर यान के संबंध में कोई कर, शास्ति, ब्याज या जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया है, धारा 13 के अधीन अधिकारी ऐसे मोटर यान को जब्त तथा निरूद्ध रख सकता है तथा जब तक कर, शास्ति या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है यान की अस्थाई सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे कदम, जो इस प्रयोजन के लिए वह आवश्यक समझे, उठा सकता है अथवा उठवा सकता है।

कर की बचत, छूट, कटौती या अन्य परिवर्तन।

16. (1) इस अधिनियम की कोई भी बात, कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रेलर, कृषि यंत्र, कृषि पॉवर–टीलर तथा अन्य कृषि मशीनरी को लागू नहीं होगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किसी मोटर यान या मोटर यानों के वर्ग के संबंध में सम्पूर्ण कर या उसके भाग के भुगतान के दायित्व से छूट दे सकती है, तथा किसी मोटर यान या मोटर यानों के वर्ग को इस अधिनियम के प्रवर्तन से अपवर्जित कर सकती है।

अनुज्ञप्ति इत्यादि को जब्त करना।

17. (1) विहित प्राधिकारी, यदि इसके पास विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान के चालक या परिचालक ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) या इसके अधीन बनाए गए नियमों या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निर्देश या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, तो ऐसे चालक या परिचालक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति या उनके कब्जे में वाहन से सम्बन्धित किसी अन्य दस्तावेज को, जो विहित प्राधिकारी की राय में धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत है, जब्त कर सकता है तथा उसे रख सकता है या सम्बद्ध अनुज्ञापन अधिकारी को भेज सकता है, जैसी भी स्थिति हो।

(2) उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज को जब्त करने वाला विहित प्राधिकारी उसे सुपुर्द करने वाले व्यक्ति को उसकी अस्थायी पावती देगा तथा ऐसी पावती तब तक प्रभावी रहेगी जब तक अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज चालक या परिचालक को, जैसी भी स्थिति हो, वापिस नहीं किया जाता, मानो यह जब्त नहीं किया गया था।

अपील तथा पुनरीक्षण।

18. (1) कर या शास्ति के निर्धारण, अधिरोपण या वसूली के संबंध में आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील दायर कर सकता है।

(2) उप–धारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम तथा निर्णायक होगा।

(3) परिवहन आयुक्त, स्वप्रेरणा से या स्वामी से आवेदन की प्राप्ति पर, किन्हीं कार्यवाहियों के, जो उसके सम्मुख लम्बित हैं, या अनुज्ञापन अधिकारी या अपील प्राधिकरण द्वारा निपटान की गई हों, ऐसी कार्यवाहियों या उसमें किए गए आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए अभिलेख मांग सकता है तथा उसके संबंध में ऐसे आदेश कर सकता है, जो वह ठीक समझे।

(4) उप–धारा (3) के अधीन किसी स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण।

19. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

अधिकारिता का वर्जन।

20. इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या किन्हीं कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई या जारी किए गए आदेश या निर्देश के संबंध में किसी भी सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

अपराध तथा जुर्माने।

21. (1) जो कोई भी,–

(क) किसी मोटर यान को ऐसे यान के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय कर की राशि का भुगतान किए बिना अपने कब्जे या नियन्त्रण में रखता है ; या

(ख) मोटर यान को रोकने में असफल रहता है जब धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऐसा करना अपेक्षित हो या किसी अधिकारी को रोकता है,

सिद्धदोष होने पर प्रथम अपराध के लिए जुर्माने, जो बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा तथा जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा तथा जो दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो, अपराध घटित होने के समय पर, कम्पनी का प्रभारी था तथा उसके कार्य संचालन हेतु कम्पनी के लिए जिम्मेवार था, अपराध के दोष के रूप में समझा जाएगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए दायी होगा तथा तदानुसार दण्डित किया जाएगा :

परन्तु इस उपधारा में दी गई कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी, यदि वह सिद्ध करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(3) उपधारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से, या की ओर से की गई किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, तो ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए दायी होगा तथा तदानुसार दण्डित किया जाएगा।

व्याख्या– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) ''कम्पनी'' से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय तथा इसमें फर्म या अन्य व्यष्टि निकाय भी शामिल है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' से अभिप्राय है, फर्म में भागीदार।

अपराधों का प्रशमन।

22. (1) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध चाहे अभियोजन के संस्थित होने के पूर्व या बाद, ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी राशि के लिए प्रशमित किया जाएगा जो राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध प्रशमित किया गया है, तो ऐसे अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरुद्ध कोई भी अगली कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

अपराधों का विचारण।

23. (1) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपराध, संज्ञेय तथा जमानतीय होगा।

प्रतिदाय।

24. राज्य सरकार या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, इस निमित आवेदन करने वाले स्वामी को, इस अधिनियम के अधीन ऐसे स्वामी की ओर देय राशि से अधिक में उसके द्वारा भुगतान किए गए कर या शास्ति की कोई राशि, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रतिदाय करेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन तब तक कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कर के सभी बकाया चुकता न किए गए हों:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई प्रतिदाय तब तक अनुज्ञात नहीं होगा जब तक तिथि जिसको ऐसा दावा प्रोद्भूत हुआ है, से छह मास की अवधि के भीतर दावा नहीं किया जाता।

नियम बनाने की शक्ति।

25. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

26. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्धों को कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

27. (1) हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2013(2013 का 28) तथा पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952(1952 का पंजाब अधिनियम 16), जो हरियाणा राज्य को लागू हैं, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कर के सभी बकाया तथा देय अन्य राशियां वसूली जाएंगी मानो वे इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत थी।

अनुसूची

(देखिए धारा 3)

क्रम संख्या		मोटर यानों के प्रवर्ग	कर की अधिकतम दर
1.		**गैर–परिवहन यान**	
	(i)	मोटर–साईकल, मोटर कार तथा अशक्त यात्री गाड़ी	एकमुश्त आधार पर मोटर यान की लागत का 20 प्रतिशत
	(ii)	उत्खनक, लोडर, बैकहो, कम्पैक्टर रोलर, रोड रोलर, डॅम्पर, मोटर ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, डोजर, फोरक लिफ्ट ट्रक, सैलफ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर या कोई अन्य निर्माण उपकरण यान, निजी प्रयोग के लिए कैम्पर वैन या ट्रेलर, रिग, जनरेटर, कम्परैसर इत्यादि जैसे उपकरणों से सज्जित यानों या ट्रेलरों, क्रेन माऊंटिड यान, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टॉवर वैगन तथा पेड़ छटाई यान या किसी अन्य प्रवर्ग के अधीन न आने वाले कोई अन्य गैर–परिवहन यानः	
		(क) चैसिज के रूप में क्रय किया गया	एकमुश्त आधार पर चैसिज की लागत का 30 प्रतिशत
		(ख) कम्पलीट बॉडी सहित क्रय किया गया	एकमुश्त आधार पर मोटर यान की लागत का 20 प्रतिशत
2.		**परिवहन यान**	
	(i)	अखिल भारतीय पर्यटक वाहनों सहित संविदा गाड़ीः	
		(क) 12+1 तक बैठने की क्षमता वाले मोटर यान	एकमुश्त आधार पर ₹ 20,00,000 या ₹ 2,00,000 प्रति वर्ष
		(ख) 12+1 से अधिक बैठने की क्षमता वाले मोटर यान	₹ 20,00,000 प्रति वर्ष
	(ii)	निजी सेवा यान	
		(क) 12+1 तक बैठने की क्षमता वाले मोटर यान	एकमुश्त आधार पर ₹ 20,00,000 या ₹ 2,00,000 प्रति वर्ष
		(ख) 12+1 से अधिक बैठने की क्षमता वाले मोटर यान	₹ 20,00,000 प्रति वर्ष
	(iii)	शैक्षणिक संस्था यान	एकमुश्त आधार पर ₹ 10,00,000 या ₹ 1,00,000 प्रति वर्ष
	(iv)	हरियाणा में पंजीकृत मंजिली गाड़ी	₹ 45,00,000 प्रति वर्ष
	(v)	कृषि प्रयोजन के लिए अप्रयुक्त कृषि ट्रैक्टर–ट्राली संयोजन सहित माल गाड़ियां।	एकमुश्त आधार पर ₹ 15,00,000 या ₹ 1,50,000 प्रति वर्ष

	(vi)	फायर टैंडर, स्नॉरकड लैडर, मोबाइल क्लीनिक, एक्सरे वैन, एम्बुलैंस, पशु एम्बुलैंस, हीयरस, लाइब्रेरी वैन, मोबाइल वर्कशाप, मोबाइल कैन्टीन, कैश वैन, कैम्पर वैन या निजी उपयोग से भिन्न के लिए ट्रेलर, तथा गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रेलर तथा पॉवर ट्रेलर।	एकमुश्त आधार पर ₹ 15,00,000 या ₹ 1,50,000 प्रति वर्ष
3.		**उपरोक्त के अन्तर्गत न आने वाले हरियाणा में पंजीकृत कोई अन्य यान।**	एकमुश्त आधार पर ₹ 20,00,000 या ₹ 2,00,000 प्रति वर्ष
4.		**अन्य राज्यों के यान जब हरियाणा में प्रवेश या चलाए जा रहे हों**	
	(i)	मंजिली गाड़ी	₹ 20,000 प्रतिदिन
	(ii)	संविदा यान जिसमें अखिल भारतीय पर्यटक यान भी शामिल हैं:	
		(क) 12+1 तक बैठने की क्षमता वाले मोटर यान	₹ 7500 प्रतिदिन
		(ख) 12+1 से अधिक बैठने की क्षमता वाले मोटर यान	₹ 20,000 प्रतिदिन
	(iii)	निजी सेवा यान	₹ 20,000 प्रतिदिन
	(iv)	शैक्षणिक संस्था यान	₹ 5,000 प्रतिदिन
	(v)	माल वाहन	₹ 5,000 प्रतिदिन
	(vi)	उपरोक्त के अन्तर्गत न आने वाले किसी अन्य राज्य में पंजीकृत कोई अन्य यान	₹ 20,000 प्रतिदिन।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55006—L.R.—H.G.P., Chd.